न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 35 / 2026 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002

केपरी ग्लोबल केपिटल लिमिटेड जरिये अधिकृत अधिकारी अंकित पंवार
पंजीकृत कार्यालयः–502, टावर ए, पेनीनसूला बिजनेस पार्क, लोवर परेल, मुम्बई, महाराष्ट्र–400013

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **भीम सिंह शेखावत पुत्र रमेश सिंह**
   प्रथम पताः– वार्ड न. 3 ग्राम बावड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.
   द्वितीय पताः– पट्टा न. 14 बावड़ी ग्राम पंचायत समिति, तहसील खण्डेला जिला सीकर 332715
2. **उम्मेद कंवर पत्नी रमेश सिंह**
   प्रथम पताः– वार्ड न. 3 ग्राम बावड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.
   द्वितीय पताः– पट्टा न. 14 बावड़ी ग्राम पंचायत समिति, तहसील खण्डेला जिला सीकर 332715
3. **रमेश सिंह पुत्र रामसुख सिंह**
   प्रथम पताः– वार्ड न. 3 ग्राम बावड़ी तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज. 332715
   द्वितीय पताः– पट्टा न. 14 बावड़ी ग्राम पंचायत समिति, तहसील खण्डेला जिला सीकर 332715
4. **राकेश कुमावत पुत्र रामसुख सिंह**
   प्रथम पताः– दीपावाली ढ़ाणी वार्ड न. 20 ग्राम जैतुसर रींगस जिला सीकर राज.

–अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 20 अप्रैल, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री कंचन सिंह चौधरी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **भीम सिंह शेखावत पुत्र रमेश सिंह, उम्मेद कंवर पत्नी रमेश सिंह, रमेश सिंह पुत्र रामसुख सिंह व राकेश कुमावत पुत्र रामसुख सिंह** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में **अप्रार्थी** के स्वामित्व की अचल सम्पति **पट्टा न. 14 बावड़ी ग्राम पंचायत समिति, तहसील खण्डेला जिला सीकर 332715** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 159 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में रामसिंह का मकान, पश्चिम दिशा में 13 फीट सार्वजनिक रास्ता, उत्तर दिशा में 10 फीट चौड़ा रास्ता एवं दक्षिण दिशा में राबिया असीन खान का मकान स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर क्रमशः **कुल ₹18,69,721/– (अक्षरे रूपये अठारह लाख उनहतर हजार सात सौ इक्कीस)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **04.07.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **04.07.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः **भीम सिंह शेखावत पुत्र रमेश सिंह, उम्मेद कंवर पत्नी रमेश सिंह, रमेश सिंह पुत्र रामसुख सिंह व राकेश कुमावत पुत्र रामसुख सिंह** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में **अप्रार्थी** के स्वामित्व की अचल सम्पति **पट्टा न. 14 बावड़ी ग्राम पंचायत समिति, तहसील खण्डेला जिला सीकर 332715** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 159 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में रामसिंह का मकान, पश्चिम दिशा में 13 फीट सार्वजनिक रास्ता, उत्तर दिशा में 10 फीट चौड़ा रास्ता एवं दक्षिण दिशा में राबिया असीन खान का मकान स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **20 अप्रैल, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष मोदी)
(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर